

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा जिला झुंझुनूं

न्यायाधीश:- डा0 नरेश सोनी (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक :- 11/10/25

संख्या नम्बर :- 114/2025

औकार वगैरे

नन्द

बनाम
निर्णय

प्रकरण में न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 07.10.2025 की पालना में तहसीलदार चिड़ावा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/3098 दिनांक 15.10.2025 के द्वारा विभाजन प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। अतः तहसीलदार चिड़ावा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा उनके नाम के सामने अंकित खसरा नम्बर, राज. सरकार का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है, तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावेगा।

| नाम खातेदार | ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|--|-------|------------|-------------|---------------|------|
| ताराचन्द पुत्र लीलाधर हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार | गोवला | 922/189/2 | 0.17 | बारानी 2 | - |
| | योग | 01 | 0.17 | - | - |
| राज. सरकार | गोवला | 929/189/3 | 0.0382 | गै0मु0 रास्ता | - |
| | योग | 01 | 0.0382 | - | - |
| औकार पुत्र नानड़ हिस्सा 25/526, औमप्रकाश पुत्र आशाराम हि. 125/526 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा भडौन्दा सा. सोलाना खातेदार, कुलवन्त पुत्र नानड़ हि. 25/526, मुन्नी पत्नी सीताराम हि. 151/1052, महेन्द्र पु. नानड़ हि. 25/526, महावीर दत्तक पु. भोला हि. 151/1052, राजेन्द्र पु. नानड़ हि. 25/526, वेदप्रकाश पु. श्रवण कुमार हि. 125/526, सन्तरा पत्नी नानड़ हि. 25/526 समस्त जाति मेघवाल सा. दे खातेदार | गोवला | 922/189/1 | 0.4167 | बारानी 2 | - |
| | गोवला | 922/189/4 | 0.4600 | बारानी 2 | - |
| | योग | 02 | .8767 | - | - |

तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के सलंगन नक्शे को आदेश का हिस्सा माना जावे। नियमानुसार मुद्रांक शुल्क प्राप्त होने पर अन्तिम डिकी पर्चा जारी हों।



निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
जिला झुंझुनूं (राज.)

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
जिला झुंझुनूं (राज.)